

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2637]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर १, २०१५/अग्रहायण १८, १९३७

No. 2637]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015/AGRAHAYANA 18, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

काआ. 3323(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिन्हें सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा जिनमें बाद में संशोधन किए गए थे (''उक्त नियम''), के नियम (3) के साथ पिठत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 2645(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2015 द्वारा यह अधिसूचित किया है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (नया रारा—16) के 901.753 कि.मी.(पुराना चैनेज 200.00 कि.मी.) से 1022.494 कि.मी. (पुराना चैनेज 81.600 कि.मी.) (दीवनाचेरूव से गुंडुगोलानू सेक्शन) तक चार या अधिक लेन के खण्ड (''उक्त खण्ड') के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उसने प्राधिकरण को अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना संख्या का.आ. 2645(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. उक्त अधिसूचना	में.	विद्यमान	पैरा	3:
------------------	------	----------	------	----

आर	यत;		के	अनुसरण	में	और	अधिस्चना	संख्या	का.आ	सं	1712(31)	तारीख	26.07.2012	211.
अधि	सूचना	संख्या		का	अधि	क्रमण	ा करते हए	-	येत्रशनः	क्ते ३	ानवधाम हे	ताराज	26.07.2012	आर
							87.	••••••	MAXIL	47 0	1.3,4101 8	J	;	

को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:--

और	यत	;	्के	अ	नुसरण	में	और	अधिसूच	ना	संख्या	का.आ	. सं.	171	2(अ)	तारीख	26.07.2012	, में
जारा	17	त्रराधन	करत	हुए	और	अधि	र्मूचन	ा संख्या			का	अधिव्र	न्म ण	करते	ਜ ਨਹ	26.07.2012 सेक्शन	के
अनुरक्ष	ाण	हेतु	;												2,		47

2. उक्त अधिसूचना में सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्या 1:--

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिसपर शुल्क संदेय है
1	ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास, रारा—16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.)	56.638 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुदूरू गांव के पास रारा—16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी)	59.938 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

			3
क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिसपर शुल्क संदेय है
1	ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास, रारा—16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.) चैनेज 901.753 कि.मी. से 950.283 कि.मी. तक	45.132 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुटूरू गांव के पास रारा—16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी) चैनेज 950.283 कि.मी. से 1022.494 कि.मी. तक	71.444 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

3. उक्त अधिसूचना में, सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्या 2:--

उपर्युक्त के अतिरिक्त,समकरण गुणक 10 सेनिम्नलिखित शुल्क.....

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी.में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
1	ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास, रारा—16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.)	3.732*	37.320	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुटूरू गांव के पास रारा—16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी)	0.433**	4.330	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^{* 60} मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

	चैनेज	1	
क्रम संख्या	कि.मी. से	कि.मी. तक	लम्बाई (मीटर)
1	936.994	937.369	375
2	937.369	939.711	2342

3	949.602	950.542	940
4	950.432	950.507	75
		कुल	3732

** 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:--

	चैनेज		
क्रम संख्या	कि.मी. से	कि.मी. तक	लम्बाई (मीटर)
1	975.620	975.728	107
2	982.269	982.425	156
3	982.844	982,929	85
4	995.449	995.533	85
		कुल	433

को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:--

उपर्युक्त के अतिरिक्त, समकरण गुणक 10 सेनिम्नलिखित शुल्क.....

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
1	ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास, रारा—16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.)	3.398*	33.98	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुटूरू गांव के पास रारा—16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी)	0.767**	7.670	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

	चैनेज	यैनेज				
क्रम संख्या	कि.मी. से	कि.मी. तक	लम्बाई (मीटर)			
1	936.994	937.369	375			
2	937.369	939.711	2342			
3	949.602	950.283	681#			
		कुल	3398			

** 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:--

	चैनेज	ī	
क्रम संख्या	कि.मी. से	कि.मी. तक	लम्बाई (मीटर)
1	950.283	950.542	259#
2	950.718	950.793	75

[PART II—SEC. 3(ii)]

4 982.269 982.425 156 5 982.844 982.929 85 6 995.449 995.600 85	3	975.620	975.728	107
5 982.844 982.929 85 6 995.449 995.500	4	982.269		
6 995.449 995.500	5	982.844		
	6	995.449	995.533	85

940 मीटर लम्बाई संरचना 949.602 कि.मी. से 950.542 कि.मी. तक है जिसे टोल के प्रयोजन हेतु दो टोल प्लाजाओं के बीच बांट दिया गया है।

4. उक्त अधिसूचना में, विद्यमान पैरा 11:-

उक्त नियमों के अनुसार परियोजना की पूंजीगत लागत को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

901.753 कि.मी. से 1022.494 कि.मी. तक की पूरी परियोजना की पूंजीगत लागत 773.46 करोड़ रुपए है और 31.03.2015 तक छूट सिंहत संग्रहीत राजस्व 195.52 करोड़ रुपए है। अभी तक वसूल किए जाने वाली पूंजीगत लागत 577.94 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जिरए पूंजीगत लागत की वसूली कर रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / सीओ / 111 / 15—16 / जीसी—राजामुंदरी] नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2015

S.O. 3323(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and subsequent amendments (the "said Rules"), the Central Government, vide notification S.O. 2645(E), dated 28th September, 2015 has notified that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four or more lane section from km 901.753 (old chainage km. 200.00) to km. 1022.494 (old chainage km 81.600) (Divancheruvu to Gundugolanu Section) of National Highway No. 5 (new NH-16) in the State of Andhra Pradesh (the "said section"), and has authorized the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee.

In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification S.O. 2645(E), dated 28th September, 2015, namely:-

1. In the said notification, the existing para 3:-

And whereas, pursuant and in supersession of notification number S.O. No. 1712(E) dated 26.07.2012 and supersession of the notification number.......maintenance of the section;

Shall be substituted as:-

2. In the said notification, the existing Sl. No. 1 below of Table 1:-

The fee levied and collected rates as mentioned in Table-1 above:

S.	Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for	Rate at which fee is
No.		which Fee is payable	payable
1	km 946.300 (old chainage km 156.183) of NH- 16, near village Eethakota in District East Godavari	56.638 (Excluding length of structures >60m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH- 16, near village Unguturu in District West Godavari	59.938 (Excluding length of structures >60m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

Shall be substituted as:-

The fee levied and collected rates as mentioned in Table-1 above:

S. No.	Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
1	km 946.300 (old chainage km 156.183) of NH-16, near village Eethakota in District East Godavari Chainage from Km 901.753 to Km 950.283	45.132(Excluding length of structures >60m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH-16, near village Unguturu in District West Godavari Chainage from Km 950.283 to Km 1022.494	71.444 (Excluding length of structures >60m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In the said notification, the existing Sl. No. 2 below of Table 1:—

In addition to above, the following fee -----by an equalization factor of 10:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
1	km 946.300 (old chainage km 156.183) of NH-16, near village Eethakota in District East Godavari	3.732*	37.320	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH-16, near village Unguturu in District West Godavari	0.433**	4.330	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

^{*} The details of structure having length > 60m is as under:—

S. No.	Chainage		2 2 2 2
	From Km	To Km	Length (m)
1	936.994	937.369	375
2	937.369	939.711	2342
3	949.602	950.542	940
4	950.432	950.507	75
		Total	3732

^{**} The details of structure having length > 60m is as under:-

S. No.	Chair	Chainage	
	From Km	To Km	Length (m)
1	975.620	975.728	107
2	982.269	982.425	156
3	982.844	982.929	85
4	995.449	995.533	85
	(*	Total	433

Shall be substituted as:-

In addition to above, the following fee by an equalization factor of 10:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km.)	Rate at which fee is payable
1	Km. 946.300 (old chainage km. 156.183) of NH-16, near village Eethakota in District East Godavari	3.398*	33.98	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH-16, near village Unguturu in District West Godavari	0.767**	7.670	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

^{*} The details of structure having length > 60m is as under:-

S. No.	Chainage		
	From Km	To Km	Length (m)
1	936.994	937.369	375
2	937.369	939.711	2342
3	949.602	950.283	681#
		Total	3398

^{**} The details of structure having length > 60m is as under:-

S. No.	Chainage		* * *
3. 140.	0.	To Km	Length (m)
1	950.283	950.542	259#
2	950.718	950.793	75
3	975.620	975.728	107
4	982.269	982.425	156
5	982.844	982.929	85
6	995.449	995.533	85
		Total	767

[#] The structure is from km. 949.602 to km. 950.542 of 940 meter length, which has been divided between two Toll Plazas for tolling purpose.

4. In the said notification, the existing para 11:—

Shall be substituted as:-

The capital cost of the complete project for km 901.753 to km 1022.494 is Rs. 773.46 Crore and discounted revenue collected till 31.03.2015 is Rs. 195.52 Crore. The capital cost yet to be recovered is Rs. 577.94 Crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/111/15-16/GC-Rajahmundry] NIRAJ VERMA, Jt. Secy.